कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा
Office of the Executive Engineer , PWD, Almora Uttarakhand
E-mail:eepdalmora@rediff.com

पत्रांक 2192/7 सी0 दिनांक 3- सितम्बर 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,
चम्पावत।

विषयः **जनपद अल्मोड़ा में राज्य योजना अन्तर्गत ज्वारभैणी से बुकसाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.8338 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तमन (FP/UK/ROAD/9552/2015)**

संदर्भः **भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/61/2015/एफ0सी0/2568 दिनॉक 31.03.2021**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग में भारत सरकार के पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/61/2015/एफ0सी0/1525 दिनॉक 08.10.2015 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपान कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र सं0 627/50सी0 दिनॉक 04 फरवरी 2016 से आपको प्रेषित की जा चुकी है। वर्तमान में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से निम्न दो बिन्दुओं पर सूचनायें चाही गयी हैं, जिनका निराकरण निम्नवत प्रेषित है।

क्रम सं0	आपत्ति	निराकरण
1	State Government is requested to submit the Khatauni in original.	बिन्दु सं0 1 के अनुपालन में खतौनी मूल में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2	State Government may submit the CA scheme of Rs 20,24,067/- as per which the amount is deposited in the CAMPA fund.	बिन्दु सं0 2 के अनुपालन में रू 20,24,067/- की सी0ए0 स्कीम संलग्न कर प्रेषित है।

अतः अनुरोध है कि विषयक प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार 5-5 प्रतियों में

भवदीय,
03-09-22

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

पत्रांक /7सी0 तद्दिनॉकित

प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता(चतुर्थ), प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा
..e Executive Engineer , PWD, Almora Uttarakhand
Phone/ Fax:- 05962-23003 E-mail:eepdalmora@rediff.com
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांक 627 / 50सी दिनांक 4. ~~फरवरी~~ मार्च 2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग,
चम्पावत

विषयः जनपद अल्मोड़ा में राज्य योजना के अंर्तगत ज्वारनैणी से बुकसाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.8338 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 61 / 2015 / एफ0सी0 / 1525 दिनॉक 08.10.2015 व कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून का पत्र सं0 **1153/FP/UK/ROAD/9552/2015** दिनॉक 15 अक्टूबर 2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन निम्नवत है।

1. शर्त संख्या--1 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 9.6676 या 9.700 है0 ग्राम–मल्ला भट्यूड़ा (1.733 है0), पजैना (2.070 है0), उड़ियारी (2.089 है0) एवं चिरातिनमिना (1.808 है0) सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू 20,24,067.00(रू बीस लाख चौबीस हजार सड़सठ) मात्र उत्तराखण्ड कैम्पा के पक्ष में कॉरपोरेशन बैक, बैंगलौर में जमा की जा चुकी है(जमा की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु चालान की छाया प्रति संलग्न है।)।

1.1 भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–1 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम–मल्ला भट्यूड़ा (1.733 है0), पजैना (2.070 है0), उड़ियारी (2.089 है0) एवं चिरातिनमिना (1.808 है0) जिसका क्षेत्रफल 9.700 है0 है, को जिलाधिकारी अल्मोड़ा के आदेश सं0 3331 / ग्यारह–38 / 2015–16, दिनॉक 23 फरवरी, 2016 के क्रम में वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में नामान्तरित की जा चुकी है(आदेश की प्रति संलग्न है)। प्रभागीय वनाधिकारी उक्त भूमि को अपने कब्जे में लिये जाने का प्रमाण पत्र अपने स्तर से नोडल कार्यालय देहरादून को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

2. शर्त सख्या–2 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रू 31,75,807.00(रू इकतीस लाख पिचहत्तर हजार आठ सौ सात) मात्र उत्तराखण्ड कैम्पा के पक्ष में कॉरपोरेशन बैक, बैंगलौर में जमा की जा चुकी है(जमा की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु चालान की छाया प्रति संलग्न है।)।

3. बिन्दु सं0 3 के क्रम में एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण व मार्ग के दोनों ओर खाली पडे स्थानों पर वृक्षारोपण की देय धनराशि ऑनलाईन चालान जनरेट कर उत्तराखण्ड कैम्पा के पक्ष में कॉरपोरेशन बैक, बैंगलौर में जमा की जा चुकी है(जमा की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु चालान की छाया प्रति संलग्न है।)।

4. शर्त सख्या–3 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होने पर धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धित बचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।

5. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में देय धनराशियों को अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी नोडल अधिकारी, देहरादून के पत्रांक 2090 / एफ0पी0 / यू0के0 / रोड / 10480 / 2015 देहरादून दिनॉक 20 जनवरी 2016 के निर्देशानुसार ऑनलाईन चालान जनरेट कर चालान में उल्लिखित कॉरपोरेशन बैक बैंगलौर में उत्तराखण्ड कैम्पा के पक्ष में जमा किया जा चुका है(जमा की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु चालान की छाया प्रति संलग्न है।)।

6. बिन्दु सं0 5 के अनुपालन में सड़क के दोनों किनारों(जहॉं सम्भव हो) मे वृक्षारोपण करने सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है।

क्रमशः पृष्ठ सं0–2

सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों के सन्दर्भ में निदेशक, पर्यावरण, वन एवं मौसम परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र सं0 11–306/2014–FC दिनॉक 08 अगस्त, 2014 एवं अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन का पत्र सं0 4949/।।।(2)14–03(सामान्य)/2008 टी0सी0, देहरादून दिनॉक 08 सितम्बर 2014 के क्रम में यह दिशा निर्देश दिये गये हैं, कि जिन प्रकरणों में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो गयी है और एन0पी0वी0 आदि देयकों के भुगतान सहित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि का नामान्तरण हो चुका है, उन मामलों में विधिवत स्वीकृति की प्रतिक्षा किये बिना पेड़ो का छपान/कटान कराया जा सकता है और मौके पर कार्य भी प्रारम्भ किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि मार्ग में विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने के साथ ही साथ मार्ग में प्रभावित वृक्षों का छपान/कटान एवं मार्ग निर्माण करने की अनुमति प्रदान करने हेतु नोडल अधिकारी देहरादून को लिखने की कृपा करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार 3–3 प्रतियों में।

भवदीय

8/3/16

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

पत्रांकः– / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालौनी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 11-02-2016

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	ROAD95522015732
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division P.W.D., AlmoraAlmora
Amount(in Rs)	8420894/-

Amount in Words : Eighty-Four Lakh Twenty Thousand Eight Hundred and Ninety-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	15089ROAD95522015732
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore 21/1, 3rd floor Jellita Towers Mission Road Bangalore -560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Print

P/f No. ROAD95522015732

P/f dt. 26/02/2016.

Day Sl - 1

Corporation Bank Almora

21	FP/UK/ROAD/9381/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/9381/2015) Takoli Bend to Baghar Motor Road	ROAD93812015879	11393812015879	06 Nov 2015	**CA:** 1046900/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 2056410/- , **gap filling :** 964000/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 4067310/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 06 Jan 2016 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 07 Jan 2016 **Transaction Date** : 10 Mar 2016	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/111412421215TX618den Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCor pid=ROAD93812015879)
22	FP/UK/ROAD/9552/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/9552/2015) Dwarnari Buksar Motor Road	ROAD95522015732	11395522015732	08 Oct 2015	**CA:** 2024067/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 3175807/- , **road site plantation :** 3221020/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 8420894/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 11 Feb 2016 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 11 Feb 2016 **Transaction Date** : 02 Mar 2016	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/2111112361211K8CUWd Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCor pid=ROAD95522015732)
23	FP/UK/ROAD/8260/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/8260/2014) Construction of Chaikhan to Baliya Motor Road to Connect Pokhari Bagania to Pokhari Binwal	ROAD82602014629	11382602014629	01 Jul 2015	**CA:** 356642/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 1053715/- , **Road side Plantation :** 277200/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 1687557/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 18 Mar 2016 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 18 Mar 2016 **Transaction Date** : 15 Sep 2015	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/3111712391216NM891ch Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCor pid=ROAD82602014629)

12

SWACHH BHARAT (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/) (WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)
(HTTPS://DATA.GOV.IN/) india.gov.in (HTTPS://INDIA.GOV.IN/) (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/) MeitY
(HTTP://MEITY.GOV.IN/) (HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/) (HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (https://parivesh.nic.in/TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (https://parivesh.nic.in/Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (https://parivesh.nic.in/CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (https://parivesh.nic.in/HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (https://parivesh.nic.in/Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (https://parivesh.nic.in/Disclaimer.aspx) | Contact Us (https://parivesh.nic.in/contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

परियोजना का नाम–जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा जागेश्वर के अंर्तगत ज्वारनैणी से बुकसाड़ मोटर मार्ग लम्बाई– 10.00 कि0मी0

एन0पी0वी0 की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

4/3/16

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

परियोजना का नाम–जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा जागेश्वर के अंर्तगत ज्वारनैणी से बुकसाड़ मोटर मार्ग लम्बाई– 10.00 कि0मी0

मार्ग के दोनों किनारों पर(जहॉ सम्भव हो) वृक्षारोपण किये का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Cental Verge पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

4/3/16
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

आदेश

जनपद अल्मोड़ा के अर्न्तगत प्रस्तावित **ज्वाड़नैणी–बुकसाड़** मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली **4.8338 हैक्टयर** वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि को नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे नामान्तरित किये जाने के सबंध मे कार्यालय तहसीलदार, जैती के पत्रांक मैमो/र0का0/2015–16, दिनांक 01–12–2015 के द्वारा याचक विभाग को प्रेषित की गई आख्या एवं उप जिलाधिकारी, जैती/भनोली के पत्र संख्या मैमो/वनभूमि/र0का0/2015, दिनांक 06–02–2016 के द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव में उक्त प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक –वृक्षारोपण के लिये प्रस्तावित की गई भूमि के अभिलेखों जिसमे प्रस्तावित मार्ग के निर्माण के सबंध मे संलग्न शासन द्वारा निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति पत्र, संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट, तहसीलदार जैती की रिर्पोट एवं उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित की गई भूमि की खतौनी, प्रति तथा प्रस्तावित की गई भूमि का मौका नक्शा एवं उक्त प्रयोजन हेतु प्राप्त आख्या व अभिलेखों के आधार पर निम्नवत राजस्व ग्रामो मे क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु भूमि प्रस्तावित की गयी हैः–**ग्राम–उडियारी, पटवारी क्षेत्र–गणाऊँ, तहसील –जैती** के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–41 की श्रेणी–9(3)ड़ " बंजर काबिल आबाद " के पैमायसी खेत न0 2788 म0–0.247है0, खेत न0 2790 रक्वा–0.092 है0, खेत न0 2792 रक्वा–0.032 है0, खेत न0–2797 रक्वा–0.085 है0, खेत न0–2799 रक्वा–1.633 है0, इस प्रकार **कुल–2.089 हैक्टयर** तथा **ग्राम–चिरातिनमिना, पटवारी क्षेत्र–गणाऊँ, तहसील–जैती** के खतौनी खाता संख्या–23 की श्रेणी–9(3)ड़ " बंजर काबिल आबाद " के पैमायसी खेत न0 431 म0–0.017है0, खेत न0 434 रक्वा–0. 092 है0, खेत न0 436 रक्वा–0.210 है0, खेत न0–438 रक्वा–0.087 है0, खेत न0–440 म0–0.266 है0, खेत न0 442 रक्वा–0.207है0, खेत न0 449 रक्वा–0.070 है0, खेत न0 453 रक्वा–0.016 है0, खेत न0–455 रक्वा–0.208 है0, खेत न0–461 म0–0.180 है0, खेत न0 472 म0–0.016 है0, खेत न0 485 रक्वा–0.011 है0, खेत न0 514 रक्वा–0.071 है0, खेत न0–516 रक्वा–0.010 है0, खेत न0–522 म0–0.147 है0 इस प्रकार **कुल–1.808 हैक्टयर** एवं **ग्राम–पजैना, पटवारी क्षेत्र–बकस्वाड़, तहसील –जैती** के खतौनी खाता सख्या–21 की श्रेणी–9(3)ड़ " बंजर काबिल आबाद " के पैमायसी खेत न0 3151 म0–0.550 है0, खेत न0 3152 रक्वा–0.360 है0, खेत न0 3156 रक्वा–0.073 है0, खेत न0–3160 मध्ये–0.080 है0, खेत न0–3168 रक्वा–0.035 है0, खेत न0 3180 रक्वा–0.011 है0, खेत न0 3174 रक्वा–0.043 है0, खेत न0 3209 रक्वा–0.030 है0, खेत न0 3211 मध्ये–0.340 है0, खेत न0 3212 रक्वा–0.160 है0, खेत न0 3217 रक्वा–0.088 है0, खेत न0 3187 रक्वा–0.300 है0, इस प्रकार **कुल–2..070 हैक्टयर** तथा **ग्राम–मल्ला–भट्यूड़ा, पटवारी क्षेत्र–जैती, तहसील–जैती** के खतौनी खाता संख्या–28 की श्रेणी–9(3)ड़ " बंजर काबिल आबाद " के पैमायसी खेत न0 2346 रक्वा–2.365 है0, खेत न0 2227 रक्वा–1.368 है0, **कुल–3.733 हैक्टयर** इस प्रकार उक्त प्रयोजन हेतु **कुल–9.700 हैक्टयर** सिविल भूमि को क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के **प्रशासनिक नियन्त्रण** मे नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार, जैती कृ0 तद्नुसार ही राजस्व अभिलेखों मे अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

ह0/–
(सविन बंसल)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

वन–निरीक्षक सहा0 अभि0 (प्रमाo) अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा
संख्या 333 /ग्यारह–38/2015–16, दिनांक 23 फरवरी, 2016

प्रतिलिपि–निम्नाकिंतो को सूचनार्थ प्रेषित :–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा ।
2– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
3– उप जिलाधिकारी, जैती/भनोली, जनपद–अल्मोड़ा ।
4– तहसीलदार, जैती को उपरोक्तानुसार अनुपालन किये जाने हेतु ।

19-02

प्रभारी अधिकारी,
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

खतौनी नकल - गैर ज०वि० खतौनी ग्राम - मल्ला भरपूड़ी,
रा०उ० नि० क्षेत्र - जैंती, तहसील - जैंती, अल्मोड़ा।

श्रेणी - 9(3)ड. - बंजर काबिल आबाद

खाता सं०	नाम भूमिधर	फसली वर्ष	खेत नम्बर	रकबा (हे० में)	लगान	विवरण
28	का०आ०	—	6	0.083	कालगंज	श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश क्र. 7210 / ग्यारह-05 2015-16 दि० 29.07.2016 के अनुसार खेत नं० 640 म०/0.050, 642 म०/0.036, 825 म०/0.029, 827 म०/0.030, 848 म०/0.030, 856 म०/0.055, 862 म०/0.026, 895 म०/0.098, 934 म०/0.028 कुल 0.384 हे० भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन के नाम निःशुल्क हस्तान्तरण नामांकन किया। ह० अपठनीय 27.09.2017
			8	0.085	—हे०—	
			27	0.004	—हे०—	
			↓	↓		
			2225	0.006	—	
			2227	1.980	—	श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, अल्मोड़ा के आदेश सं० 333/ ग्यारह-38 /2015-2016 दि० 23 फरवरी 2016 के क्रम में पैमापशी खेत नं० 2227 म० रकबा 1.368 हे०, पैमापशी खेत सं० 2346 रकबा 2.365 हे० कु० 3.733 हे० भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम अमलदरामद दर्ज किया। ह० अपठनीय 23.08.2016
			2240	0.155	—	
			↓	↓		
			2346	2.365	—	
			2350	0.025	—	
			2354	0.015	—	
			↓	↓		
			2624	0.234	—	
			2629	0.036	—	
			2631	0.401	—	
			2634	0.063	—	
		योग	366	26.799	—	

महोदय, असल से नकल बदस्तूर तैयार किया।

(हस्ताक्षर) 24.07.2021
उपनिरीक्षक
क्षेत्र जैंती
तहसील जैंती

ग्राम : डाड़पारा

रा० उ० नि० क्षेत्र - गणांक तहसील जैंती (अल्मोड़ा)

श्रेणी - 9 (3) 5 बंजर काबिल आबाद

खाता सं०	नाम भूमिधर	फसली वर्ष	खेत नम्बर	रकबा (है० मे)	लगान	विवरण
[redacted] 40	व० का० आ०	—	4	0.025		श्रीमान जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश सं० 3331/ग्यारह-38/2015-2016 दि० 23 फरवरी 2016 के क्रम में पैमाईशी खेत नं० 2788 रकबा 0.247 हे० खेत नं० 2790 रकबा 0.092 हे० खेत नं० 2792 रकबा 0.032 हे० खेत नं० 2797 रकबा 0.085 हे० खेत नं० 2799 रकबा 1.633 हे० कु० 2.089 हे० भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम अमलदरामद दर्ज किया। ह० रा०नि० 27/8/2020
			15	0.006		
			19	0.030		
			21 ↓	0.345		
			2788	0.247		
			2790	0.092		
			2792	0.032		
			2797	0.085		
			2799	1.633		
			3212	0.520		
			3214	0.008		
			3215	0.009		
			3216	0.015		
			3217	0.014		
		योग	430	37.09		

महोदय,

असल से नकल कर तैयार किया।

31/8/2021

राजस्व उप निरीक्षक

क्षेत्र गणांक / अल्मोड़ा

[illegible] ग्राम- पलना।

रा० उ० नि० क्षेत्र- बक्स्वाड़ तहसील जैती अल्मोड़ा

श्रेणी- 9(3)ड- बंजर कबिल आबाद

खाता सं.	नाम भूमिधर	फसली वर्ष	खेत नं०	रकबा हे० में	लगान	विवरण
18	बं०का०आ०	—	3151	0.550		श्रीमान जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश सं०-3331/भपारह 38/2015-2016 दिनांक 25 फरवरी 2016 के क्रम में पैमाईशी खेत नं० 3151 रकबा 0.550 हे०, खेत० 3152 रकबा 0.360 हे० खेत० नं० 3156 रकबा 0.073 हे० खेत० 3160 मध्ये 0.080 हे० खेत नं० 3168 रकबा 0.035 हे० खेत० नं० 3180 रकबा 0.011 हे० खेत नं० 3174 रकबा 0.043 हे० खेत नं० 3209 रकबा 0.030 हे० खेत नं० 3211 मध्ये 0.340 खेत नं० 3218 रकबा 0.160 हे० खेत नं० 3217 [illegible] 0.088 हे० खेत नं० 3187 रकबा 0.300 हे० कुल 2.070 हे० भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम पर अमल दरामद [illegible] ह० [illegible] 27/8/2020
			3152	0.360		
			3156	0.073		
			3160	0.080		
			3168	0.035		
			3174	0.043		
			3180	0.011		
			3209	0.030		
			3211	0.340		
			3212	0.340		
			3217	0.088		
			3187	0.300		
			↓			
			3845	.001		
			3853	.002		
			3874	.421		
			↓			
			3952	0.470		
			3972	0.250		
		योग	413	41.530	—	मध्ये

मसल से नकल कर तैयार किया।

[signature] 11/8/2021
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र... [illegible] बक्स्वाड़

खतौनी नकल - गैर ज० वि० खतौनी ग्राम - चिरातिनमौना
वा० ३० नि० क्षेत्र - गणांक तहसील - जैती (अल्मोड़ा)

श्रेणी - 9(3) ड़ - बेजर काबिल आबाद

खाता सं.	नाम भूमिधर	फसली वर्ष	खेत नम्बर	रकबा है० मे	लगान	विवरण
23	व०का०भा०	—	04	0.025		श्रीमान जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश से 3331/ग्यारह-38/2015-16) दि० 23 फरवरी 2016 के क्रम में पैमापशी खेत नं० 431 रा० 0-0.017 है०, खेत नं० 434 रकबा 0.092 है०, खेत नं० 436 रकबा - 0.210 है० खेत नं० - 438 रकबा 0.087 है० खेत नं० - 440 रा० 00.266 है० खेत नं० 442 रकबा 0.207 है० खेत नं० 449 रकबा 0.070 है० खेत न० 453 - रकबा - 0.016 है खेत नं० 455 - रकबा - 0.208 है०, खेत० नं० 461 रा० 0.180 है०, खेत नं० 472 रा० 0.016 है०, खेत नं० 485 रकबा - 0.011 है० खेत नं० 514 रकबा 0.071 है० खेत नं० 516 रकबा - 0.010 है० खेत नं० 522 रा० 0.147 है० कु 1.808 है० भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम अमलदरामद दर्ज किया। ह० अ० 27/10/2020
			15	0.006		
			↓			
			32	0.120		
			42	0.005		
			43	0.253		
			↓			
			431	0.017		
			434	0.092		
			436	0.210		
			438	0.087		
			440	0.266		
			442	0.207		
			449	0.070		
			453	0.016		
			455	0.208		
			461	0.180		
			472	0.016		
			485	0.011		
			514	0.071		
			516	0.010		
			522	0.147		
			↓			
			4801	0.036		
			4814	0.193		
			4816	0.021		
			4823	0.014		
		योग	439	73.560	—	मोहर

असल से नकल कर तैयार किया।

[signature] 1/8/2021
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र...[illegible]...

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

परियोजना का नाम :– जनपद–अल्मोड़ा में राज्य योजना अंतर्गत ज्वारनैणी सं बुकसाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.8338 है0 वन भूमि के सापेक्ष 9.70 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण)

1–उडियारी सिविल–2.091 हे0, 2– चिरातिनमिना–1.813 हे0 3–पजैना सिविल– 2.063 हे0, 4– मल्ला भट्यूड़ा– 3.733 हे0 = सिविल भूमि का कुल हे0–9.70 है0

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :– 10670 पौधे (1100 पौधे प्रति हे0)

क0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	सर्वे एवं सीमांकन	9.700	हे0	97.00	940.90
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	9.700	हे0	584.00	5664.80
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग) 84 घनमीटर प्रति हे0 की दर से = 84 X 9.7 हे0 = 814.8 घमी0	814.80	धन मी0	315.00	256662.00
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल–खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यो हेतु प्राविधान (पूर्ण)	9.700	हे0	7750.00	75175.00
5	गड्ढ खुदान (0.30x0.30x0.45) 2000 प्रति सैकड़ा गढढा	10670	गड्ढे	7.33	78211.10
6	निरीक्षण बटिया बनना	9.700	हे0	485.00	4704.50
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	10670	पौधे	5.89	62846.30
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र सयन्त्र, औजार तेज करना एवं कार्यो पर व्यय	L/S	L/S	L/S	100000.00
9	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	150000.00
	योग – प्रथम चरण				**734204.60**
	द्वितीय चरण				
1	गड्ढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45)	10670	गड्ढे	1.15	12270.50
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	10670	पौधे	1.15	12270.50
3	पौध ढुलान कार्य	10670	पौधे	6.39	68181.30
4	पौध रोपण व थालाबन्दी	10670	पौधे	2.06	21980.20
5	निराई गुड़ाई व मल्चिंग (दो बार)	10670	पौधे	0.76	8109.20
6	खाद व दवा पर व्यय प्रति सेकड़ा पौधा	10670	पौधे	0.210	2240.70
7	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख–रेख व रखरखाव पर व्यय	9.70	हे0	4768.00	46249.60
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत				
	सूखे घाट फूस एव ज्वलनशील पदर्थो का हटाना प्रति हे0	9.70	हे0	350.00	3395.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल / घेरबाढ़ के बाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना	9.70	हे0	225.00	2182.50
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।	9.70	हे0	400.00	3880.00

	9 अन्य व्यय साइन बोर्ड पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि कय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट कय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यो को प्रचार–प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य।	9.70	हे0	700.00	6790.00
	अन्य कार्य	L/S	हे0	L/S	150000.00
	योग– द्वितीय चरण				337549.50
	कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण		हे0		1071754.10
	तृतीय चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (9044 X 12/9) =	9.70	हे0	7152.00	69374.40
	2 2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	9.70	हे0	350.00	3395.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	9.70	हे0	225.00	2182.50
	अ– प्रशिक्षण	9.70	हे0	310.00	3007.00
	ब– प्रोत्साहन	9.70	हे0	200.00	1940.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	30000.00
	योग – तृतीय चरण				109898.90
	चतुर्थ चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह 12 x 9044/10 = 10852	9.70	हे0	7152.00	69374.40
	2 2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	9.70	हे0	350.00	3395.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	9.70	हे0	225.00	2182.50
	अ– प्रशिक्षण	9.70	हे0	310.00	3007.00
	ब– प्रोत्साहन	9.70	हे0	200.00	1940.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	30000.00
	योग – चतुर्थ चरण				109898.90
	पंचम चरण				

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	9.70	हे0	7152.00	69374.40
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	9.70	हे0	350.00	3395.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	9.70	हे0	225.00	2182.50
	अ– प्रशिक्षण	9.70	हे0	310.00	3007.00
	ब– प्रोत्साहन	9.70	हे0	200.00	1940.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	25000.00
	योग – पंचम चरण				**104898.90**
	षष्टम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	9.70	हे0	7152.00	69374.40
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	9.70	हे0	350.00	3395.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	9.70	हे0	225.00	2182.50
	अ– प्रशिक्षण	9.70	हे0	310.00	3007.00
	ब– प्रोत्साहन	9.70	हे0	200.00	1940.00
3	अन्य कार्य	9.70	L/S	L/S	25000.00
	योग – षष्टम चरण	9.70			**104898.90**
	सप्तम चरण	9.70			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	9.70	हे0	7152.00	69374.40
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	9.70	हे0	350.00	3395.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	9.70	हे0	225.00	2182.50

	अ– प्रशिक्षण	9.70	हे0	310.00	3007.00
	ब– प्रोत्साहन	9.70	हे0	200.00	1940.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	25000.00
	योग – सप्तम चरण				**104898.90**
.	सप्तम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	9.70	हे0	7152.00	69374.40
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	9.70	हे0	350.00	3395.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	9.70	हे0	225.00	2182.50
	अ– प्रशिक्षण	9.70	हे0	310.00	3007.00
	ब– प्रोत्साहन	9.70	हे0	200.00	1940.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	25000.00
	योग – सप्तम चरण				**104898.90**
	अष्टम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	9.70	हे0	7152.00	69374.40
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	9.70	हे0	350.00	3395.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	9.70	हे0	225.00	2182.50
	अ– प्रशिक्षण	9.70	हे0	310.00	3007.00
	ब– प्रोत्साहन	9.70	हे0	200.00	1940.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	25000.00
	योग – अष्टम चरण				**104898.90**
	नवम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	9.70	हे0	7152.00	69374.40
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	9.70	हे0	350.00	3395.00

	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	9.70	हे0	225.00	2182.50
	अ– प्रशिक्षण	9.70	हे0	310.00	3007.00
	ब– प्रोत्साहन	9.70	हे0	200.00	1940.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	25000.00
	योग – नवम चरण				**104898.90**
	दशम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	9.70	हे0	7152.00	69374.40
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	9.70	हे0	350.00	3395.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	9.70	हे0	225.00	2182.50
	अ– प्रशिक्षण	9.70	हे0	310.00	3007.00
	ब– प्रोत्साहन	9.70	हे0	200.00	1940.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	25000.00
	योग – दशम चरण				**104898.90**
				कुल योग	**2025844.20**
				अथवा	**2024067.00**

Randpal
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।